

तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कारखानों के मालिकों के तथा उनके मंत्रालय के अन्तर्गत कारखानों के प्रबन्धक अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन पर कारखाना अधिनियम, 1948 तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का उल्लंघन करने के लिए सितम्बर, 1967 से मार्च 1968 की अवधि में मुकदमों चलाये गये हैं ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों पर जुर्माने किये गये तथा प्रत्येक व्यक्ति से कितना जुर्माना वसूल किया गया, कितने व्यक्तियों को सजा दी गई तथा प्रत्येक व्यक्ति को कितनी कितनी अवधि की सजा दी गई, कितने व्यक्तियों को आरोप-मुक्त किया गया था तथा उनके नाम तथा पदनाम क्या थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सह-कार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जानकारी इकट्टी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में फँकटरी अधिनियम के उल्लंघन के मामले

6948. श्री मोलू प्रसाद : क्या अम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1967 से मार्च, 1968 तक की अवधि में फँकटरी अधिनियम, 1948 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का उल्लंघन करने के कारण उत्तर प्रदेश में जिन जिन कारखाना मालिकों तथा उनके प्रबन्धक अधिकारियों पर मुकदमों चलाये गये, उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों पर जुर्माना किये गये तथा प्रत्येक व्यक्ति से कितना जुर्माना वसूल किया गया और कितने व्यक्तियों को सजा

दी गई तथा प्रत्येक व्यक्ति को कितनी कितनी अवधि की सजा दी गई और कितने व्यक्तियों को आरोप मुक्त किया गया था तथा उनके नाम तथा पद नाम क्या थे ?

अम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

जम्मू और काश्मीर में शरणार्थियों का पुनर्वास

6949. श्री बलराज मधोक : क्या अम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1947 में पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिये काश्मीर में अभी तक पुनर्वास की सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जम्मू और काश्मीर में शरणार्थियों को अभी तक निष्क्रान्त भूमि आवंटित नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

अम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बा० रा० ब्रह्मण) : (क) से (ग). विस्थापित व्यक्ति जो 1947 में पाकिस्तान से आये थे वे जम्मू और काश्मीर में नहीं बसाये गये थे। विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिये राज्य में स्थिति अनुकूल नहीं थी। निष्क्रान्त सम्पत्ति, अधिनियम, 1950 का प्रशासन जम्मू और काश्मीर के लिये लागू नहीं किया गया। इसलिये उस राज्य में निष्क्रान्त भूमि के आवंटन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

New Delhi Co-operative Bank

6950. SHRI BAL RAJ MADHOK : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaint from the Secretary, New